गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश गन्ना प्रतियोगिता नियमावली

1– **नाम एवं पता :**

यह योजना "उत्तर प्रदेश गन्ना प्रतियोगिता" कहलायेगी तथा इसका पता निम्नलिखित होगा ।

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

2– **परिभाषा :**

इस नियमावली में यदि कोई बात, विषय या विवरण के प्रतिकूल नही है तो –

(अ) राज्य प्रतियोगिता का अर्थ है उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के सम्पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र में विसतारित गन्ना फसल प्रतियोगिता।

(ब) क्षेत्रीय प्रतियोगिता का अर्थ है गन्ना विकास विभाग के क्षेत्रीय (रेंज) कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में विस्तारित गन्ना फसल प्रतियोगिता।

(स) जोनल प्रतियोगिता का अर्थ है गन्ना विकास विभाग के गन्ना विकास परिषदों के अधिकार क्षेत्र में विस्तारित गन्ना फसल प्रतियोगिता।

(द) पौधा सामान्य का अर्थ है गन्ने की प्रथम बुवाई की बावग फसल जो समय–समय पर गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा प्रदेश में बुवाई के लिए सामानय संस्तुत प्रजातियों में से बोई गई हो।

(य) पौधा शीघ्र पकने वाली प्रजाति का अर्थ है गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियों की प्रथम बुवाई की बावग गन्ना फसल।

(र) पेड़ी का अर्थ है गन्ने की फसल की पहली पेड़ी।

(ल) राज्य सरकार का अर्थ है उत्तर प्रदेश शासन।

(व) गन्ना आयुक्त का अर्थ वह अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा गन्ना आयुकत, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त किया गया हो।

(क) मुख्य निर्णायक का अर्थ होगा राज्य स्तर पर गन्ना आयुक्त कार्यालय में नियुक्त चीफ पब्लिसिटी आफिसर पदेन सचिव, राज्य गन्ना प्रतियोगिता। क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त तथा जोनल स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, (मंत्री, गन्ना विकास परिषद)।

(ख) सह–निर्णायक का अर्थ होगा मुख्य निर्णायक द्वारा नामित कटाई अधिकारी।

(ग) प्रतियोगिता समिति का अर्थ होगा राज्य, क्षेत्रीय तथा जोनल स्तर पर गठित गन्ना प्रतियोगिता समिति।

3– उद्देश्य :

गन्ना प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए गन्ना किसानों में स्वस्थ्य प्रतियोगी भावना का संचार करना है। प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ना खेती की अनुसंधान सम्मत नवीनीतम जानकारियॉ देने और जागरूकता पैदा कर कृषकों में उपज बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा कायम करना, निष्कपट भाव से गन्ने की खेती के प्रति किये गये प्रयासों का वास्तविक प्रतिफल प्राप्त करना।

4– कार्य क्षेत्र :

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का सम्पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र।

5– प्रतियोगिता के प्रकार :

(अ) जोनल गन्ना प्रतियोगिता (प्रत्येक चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में)

(ब) रेंज गन्ना प्रतियोगिता (क्षेत्रीय/संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के कार्य क्षेत्र स्तर पर) प्रत्येक स्तर पर गन्ना प्रतियोगितायें निम्नांकित तीन प्रकार की आयोजित की जायेंगी :–

(अ) पौधा सामान्य जातियों का।

(ब) पौधा शीघ्र पकने वाली जातियों का।

(स) पेड़ी।

6– पेड़ी की फसल में केवल पहली पेड़ी ही प्रतियोगिता में सम्मिलित की जायेगी व पौधे के प्रतियोगी खेत में गन्ने की बुवाई पंक्ति, रिंग या पिट सोइंग विधि से होगी।

7– रेंज एवं राज्य प्रतियोगिता में गन्ना आयुक्त द्वारा रेंजों के लिए स्वीकृत जाति का तथा जोनल प्रतियोगिता में संबंधित परिषद क्षेत्र के लिए स्वीकृत जाति का गन्ना ही संबंधित प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा। राज्य गन्ना प्रतियोगिता में किसी भी रेंज के लिए स्वीकृत प्रजाति को किसी भी क्षेत्र से प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जा सकता है।

8– कोई भी गन्ना कृषक जो गत एक वर्ष से गन्ना समिति के माध्यम से गन्ना आपूर्ति कर रहा है, उपरोक्त नियम (7) के अन्तर्गत स्वीकृत जाति का ही गन्ना प्रतियोगिता में सम्मिलित कर सकता है।

9– नियम–5 में अंकित सभी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित गन्ने का क्षेत्रफल कम से कम आधा एकड़ (0.2 हेक्टेयर) अवश्य होना चाहिए। प्रतिबन्ध यह होगा कि खेत की न्यूनतम लम्बाई तथा चौड़ाई 22 मीटर से कम किसी भी दशा में न हो।

10– प्रति वर्ष इच्छुक प्रतियोगियों के प्रवेश पत्र निर्धारित फार्म (परिशिष्ट–1) पर तीन–तीन प्रतियों में प्रवेश शुल्क सहित 30 सितम्बर तक संबंधित गन्ना विकास परिषद कार्यालय में जमा कर दिये जाने चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्रों की व्यवस्था संबंधित गन्ना विकास परिषद द्वारा की जायेगी। जहॉ गन्ना विकास परिषद का गठन नहीं हुआ है वहॉ प्रवेश पत्रों की व्यवस्था संबंधित चीनी मिल करेगी।

जेनल प्रतियोगिता के प्रवेश पत्र संबंधित गन्ना विकास परिषद कार्यालयों में रहेंगे। रेंज प्रतियोगिता के प्रवेश पत्र की एक प्रति संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्रवेश शुल्क सहित परिषद द्वारा जमा कराये जायेंगे। राज्य गन्ना प्रतियोगिता में प्रवेश पत्र की एक प्रति आवेदन शुल्क सहित गन्ना आयुक्त कार्यालय में परिषद द्वारा सीधे जमा किये जायेंगे। सभी प्रतियोगिताओं के आवेदन पत्रों की एक प्रति प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी।

11– प्रत्येक प्रतियोगी कृषक प्रतियोगिता में सम्मिलित अपनी फसल का पूर्ण ब्योरा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में अपने पास अवश्य रखेगा।

12– प्रतियोगी कृषक के ब्लाक इंचार्ज का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह समय–समय पर (परिशिष्ट–2) का निरीक्षण कर प्रतियोगी कृषक का लगातार मार्गदर्शन करता रहे तथा कटाई अधिकारी को कटाई के समय अनिवार्य रूप से आवश्यक रूप से आवश्यक प्रतियॉ (परिशिष्ट–2) उपलब्ध करायें।

13– राज्य गन्ना प्रतियोगिता का खेत कटाते समय ब्लाक इंचार्ज, सहायक सांख्यिक अधिकारी, (या उनके द्वारा नामित सांख्यिकी कर्मचारी) संगणक अथवा गन्ना विकास निरीक्षक(सां) तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक स्वयं अवश्य उपलबध रहेंगे।

14– प्रति वर्ष चीनी मिलों के चलने के बाद (नवम्बर/दिसम्बर) प्रतियोगी खेतों की कटाई प्रारम्भ की जायेगी जो अगले वर्ष मार्च/अप्रैल के मासांत तक समाप्त हो जानी चाहिए। पहले पेड़ी तथा शीघ्र पकने वाली जाति का पौधा व उसके बाद में पौधा सामान्य फसल के खेतों की कटाई कराई जायेगी। कटाई कार्यक्रम मुख्य निर्णायकों द्वारा बनाया जायेगा। यह कार्यक्रम इस प्रकार बनाया। यह कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि प्रत्येक प्रतियोगी कृषक को 10 दिन पूर्व इसकी सूचना अवश्य मिल जाए।

15– फसल की कटाई व औसत उपज निकालने के लिए जो विधि अपनाई जायेगी वह (परिशिष्ट–3) में दी गई है। प्रत्येक प्रकार की फसल की प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में यह विधि अपनाई जायेगी।

16– विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं के खेतों की कटाई व जांच की कटाई व जांच के लिए निर्णायक समिति निम्नलिखित अनुसार गठित की जायेगी।

क्रमांक	प्रतियोगिता का नाम	निर्णायक समिति	विशेष विवरण
1.	जोनल प्रतियोगिता	1– ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मुख्य निर्णायक। 2– जोन के समस्त वर्ग–2 के अधिकारी, सहनिर्णायक।	मुख्य निर्णायक अथवा उनके द्वारा नामित 2 सह–निर्णायक एक खेत की कटाई करायेंगे।
2.	रेंज प्रतियोगिता	1–संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त(क्षेत्रीय), मुख्य निर्णायक। 2– मुख्य निर्णायक द्वारा मनोनीत उनके क्षेत्र के ग्रुप–1 के समस्त अधिकारी, सह–निर्णायक।	मुख्य निर्णायक अथवा उनके द्वारा नामित 2 सह–निर्णायक एक खेत की कटाई करायेंगे।
3.	राज्य प्रतियोगिता	1– मुख्य प्रचार अधिकारी(सी0पी0ओ0), मुख्य निर्णायक 2– मुख्य निर्णायक द्वारा मनोनीति श्रेणी–2 के अधिकारी, सह–निर्णायक।	मुख्य निर्णायक अथवा उनके द्वारा नामित 2 सह–निर्णायक एक खेत की कटाई करायेंगे।

17– (अ) यदि किसी प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण फसल की दशा खराब हो गई हो तथा प्रतियोगी कृषक प्रतियोगिता में भाग न लेना चाहे तो वह अपना नाम वापस ले सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि प्रतियोगिता से नाम वापस लेने हेतु वह अपना प्रार्थना पत्र 31 अक्टूबर तक संबंधित प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक को प्रेषित कर दें।

(ब) यदि कोई प्रतियोगी उपरोक्त धारा–17(अ) में वर्णित कारणों से अपनी प्रविष्टि निर्धारित अवधि में वापस ले लेता है तो वह अगले वर्ष उसी स्तर की उसी प्रतियोगिता में बिना शुल्क दिये (अगर प्रतियोगिता वर्ष में शुल्क बढ़ा न हो) अपनी प्रविष्टि ले सकेगा। जमा किया गया प्रवेश शुल्क किसी भी देशा में वापस नही किया जायेगा।

(स) राजकीय फार्मों तथा अनुसंधान केन्द्रों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(द) प्रतियोगी फसल के खेत में गैप फिलिंग बुवाई की तिथि के बाद तीन माह के अन्दर की जा सकती है, परन्तु यह गैप फिलिंग के गन्ने के सेटों अथवा कल्लेदार ॲखुओं (ठनक"चतवनजे) के द्वारा ही की जायेगी।

18– प्रतियोगी खेत की कटाई की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पहले से खेत में सिंचाई नहीं की जायेगी।

19– प्रतियोगिता के खेत की कटाई की तिथि के बाद प्रत्येक कटाई अधिकारी द्वारा तीन दिन के अन्दर परिणाम औसत उपज के अनुमान सहित मुख्य निर्णायक को निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट–2 तथा 4(1) व 4(2) में अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिये जायेंगे।

20– प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता का प्रत्येक प्रतियोगी प्रतियोगिता की कटाई की तिथि के बाद अपने प्रतियोगी खेत का गन्ना 15 दिन तक काटने से रोके रखेगा ताकि यदि आवश्यकता हो तो उस खेत के पुनः जॉच के लिए मुख्य निर्णायक स्वयं करेंगे या सह–निर्णायक नियुक्त कर कटाई तिथि के 15 दिन के अनदर पुनः जांच करायेंगे।

21– जांच की कटाई शेष दो चतुर्थांशों में से प्रत्येक में से परिशिष्ट–3 में दी गई विधि से 10 ग10 मीटर का एक रैन्डम प्लाट परिशिष्ट–3 में दी गई तकनीकी के अनुसार कटवाया जायेगा।

22– (अ) यदि द्वितीय कटाई की उपज और पहली कटाई के उपज में 5 प्रतिशत का अन्तर है तो पहली कटाई की उपज मान्य होगी।

(ब) यदि द्वितीय कटाई के उपज में पहली कटाई से अनतर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रहता है तो दोनों कटाई का औसत लिया जायेगा।

(स) यदि दूसरी कटाई के उपज में पहली कटाई से अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो दूसरी कटाई की उपज ही ली जायेगी।

23– प्रतियोगी गन्ने की "ब्रिक्स" का न्यूनतम स्तर 18 प्रतिशत होना चाहिये तथा इससे कम "ब्रिक्स" होने पर प्रतियोगी खेत रद्द कर दिया जायेगा।

24– प्रत्येक प्रकार की फसल की प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता के लिये पुरस्कार अलग–अलग निर्धारित होंगे। अधिकतम प्राप्त उपज के आधार पर पुरस्कार का निर्णय किया जायेगा।

25– निर्धारित पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में निश्चित सीमा तक निम्न प्रकार सफल प्रतियोगी होना आवश्यक है अन्यथा अध्यक्ष/मुख्य निर्णायक द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार ही दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

1– जोनल गन्ना प्रतियोगिता – पौधा (सामान्य), पेड़ी तथा पौधा (शीघ्र पकने वाली) प्रत्येक में 5 सफल प्रतियोगी।

2– रेंज गन्ना प्रतियोगिता – पौधा (सामान्य), पेड़ी तथा पौधा (शीघ्र पकने वाली) प्रत्येक में 10 सफल प्रतियोगी।

3– राज्य गन्ना प्रतियोगिता – पौधा (सामान्य), पेड़ी तथा पौधा (शीघ्र पकने वाली) प्रत्येक में 15 सफल प्रतियोगी।

गन्ना आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुख्य निर्णायकों के विशेष संस्तुति पर विचार करते हुए प्रोत्साहन पुरस्कारों के स्थान पर प्रत्येक वर्ग में कम सफल प्रतियोगी होते हुए भी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कारों की घोषणा की अनुमति दे सकेंगे।

26– राजकीय फार्म एवं गन्ना अनुसंधान फार्मों को नगद पुरस्कार न देकर केवल प्रशस्तिपत्र व मेडल दिये जायेंगे।

27– विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता के लिए निर्धारित पुरस्कार निम्न प्रकार होंगे :–

प्रतियोगिता	पौधा सामान्य			पौधा शीघ्र पकने वाली जाति			पेड़ी		
स्तर	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
जोनल	1000/–	500/–	300/–	1000/–	500/–	300/–	1000/–	500/–	300/–
रेंज	5000/–	3000/–	2000/–	5000/–	3000/–	2000/–	5000/–	3000/–	2000/–
राज्य	10000/–	7000/–	5000/–	10000/–	7000/–	5000/–	10000/–	7000/–	5000/–

28– दो हेक्टेयर तक गन्ना क्षेत्रफल वाले किसानों को, जो किसी भी सतर की प्रतियोगिता में चतुर्थ या पंचम स्थान प्राप्त करेंगे, उनको संबंधित प्रतियोगिता समिति/अध्यक्ष प्रेरक पुरस्कार देने का निर्णय स्वयं लेंगे।

29– प्रतियोगिता के लिए प्रवेश शुल्क निम्नलिखित होगा :–

1– जोनल प्रतियोगिता 25/–प्रति प्रविष्टि

2– रेंज प्रतियोगिता 50/– प्रति प्रविष्टि

3– राज्य प्रतियोगिता 100/– प्रति प्रविष्टि

30– आवेदन शुल्क जोनल प्रतियोगिता हेतु संबंधित गन्ना विकास परिषद में, रेंज प्रतियोगिता हेतु सम्बन्धित संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त कार्यालय में तथा राज्य प्रतियोगिता के लिए "सचिव, राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति", कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के नाम लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा ही जमा किया जायेगा।

31– प्रत्येक प्रतियोगी निर्धारित तिथि पर प्रतियोगिता हेतु प्लाटों की कटाई के लिए आवश्यक व्यवस्था समुचित रूप से करेगा तथा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कटाई में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरण जैसे रस्सी, लोहे की खूंटियॉ, 30 मीटर का फीता, इलेक्ट्रानिक कलकुलेटर, मैट्रिक सिस्टम का स्प्रिंगबैलेंस आदि की व्यवस्था खेत पर कटाई के समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

32– कटाई अधिकारियों के निर्देश का पालन न करने अथवा किसी अनुचित ढंग से लाभ उठाने का प्रयत्न करने पर प्रतियोगी का खेत संबंधित प्रतियोगिता से कटाई अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया जायेगा तथा यदि प्रतियोगिता समिति/मुख्य निर्णायक चाहे तो उसे आगामी एक या अधिक वर्षों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर सकती है।

33– प्रतियोगी कृषक अपनी शिकायत कटाई तिथि के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित मुख्य निर्णायक को भेज सकता है, जिसका निर्णायक मुख्य निर्णायक/संबंधित समिति 15 दिनों के अन्दर अवश्य कर देगी।

34– राज्य गन्ना प्रतियोगिता में प्रत्येक 5 वर्ष में सर्वाधिक प्राप्त उपजकर्ता को "गन्ना शिरोमणि" इसी अवधि में अधिक बार सफल कृषक को "गन्ना आचार्य" तथा प्रतिवर्ष तीनों फसलों में सर्वाधिक उपज प्राप्तकर्ता को "स्वर्ण बैजन्ती" से सम्मानित किया जायेगा।

35– कोई प्रतियोगी खेत किन्हीं दो स्तरों (राज्य, रेंज व जोनल) की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है, परन्तु ऐसे प्रतियोगी खेत की कटाई उच्च स्तर की प्रतियोगिता समिति द्वारा कराई जायेगी तथा उसी का कटाई परिणाम दोनों स्तर की प्रतियोगिताओं को मान्य होगा।

36– कटाई तिथि के पूर्व खेत कट जाने या किसान द्वारा प्रतियोगिता से किसी कारण वश अलग होने की दशा में सूचना तत्काल संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/ब्लाक इंचार्ज द्वारा संबंधित कटाई अधिकारी व मुख्य निर्णायक को प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

37– जोनल प्रतियोगिता–

(अ) यह प्रतियोगिता प्रतयेक चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र के किसानों के बीच होगी।

(ब) जोनल स्तर की प्रतियोगिता कराने, प्रतियोगिता में उपज की रेणी निर्धारित करने, पुरसकार वितरण समारोहों को आयोजित करने, प्रचार–प्रसार आदि प्रतियोगिता संबंधित सीाी कार्यों को सुनियोजित ढंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा लेखा–जोखा रखने का पूर्व उत्तरदायित्व जोनल प्रतियोगिता समिति का होगा।

(स) जोनल प्रतियोगिता समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1–	संबंधित जिला गन्ना अधिकारी	अध्यक्ष (पदेन)
2–	स्थानीय चीनी मिल द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3–	संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	सचिव (पदेन)
4–	गन्ना विकास निरीक्षक (सांख्यिक)	सदस्य
5–	स्थानीय गन्ना विकास परिषद द्वारा मनोनीत एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य

(द) जोनल प्रतियोगिता के किसी भी विवाद की दशा में प्रतियोगिता समिति अपना निर्णय देगी।

(य) जोनल प्रतियोगिता समिति के निर्णय की अपील रेंज प्रतियोगिता समिति में की जा सकेगी और उस पर उसका निर्णय अन्तिम व सभी संबंधित को मान्य होगा। इसके बाद कोई अपील नही की जा सकेगी।

(र) प्रतियोगिता में विजयी कृषकों की सूची व अन्य विवरण (परिशिष्ट–5) सहित मुख्य निर्णायक द्वारा रेंज व राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति को परिणामों की घोषणा के बाद अनिवाय रूप से भेजा जायेगा।

38– रेंज प्रतियोगिता :

(अ) यह प्रतियोगिता प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्तों के अपने कार्यक्षेत्र के गन्ना किसानों के बीच अलग–अलग होगी।

(ब) रेंज स्तर की प्रतियोगिता कराने, प्रतियोगिता में प्राप्त उपज की श्रेणी निर्धारित करने, पुरस्कार वितरण समारोहों का आयोजन करने, प्रचार–प्रसार आदि सभी प्रतियोगिता से संबंधित कार्यों को सुनियोजित ढंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा लेखा–जोखा रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व रेंज प्रतियोगिता समिति का होगा।

(स) रेंज प्रतियोगिता समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1–	सम्बन्धित संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त	अध्यक्ष (पदेन)

2–	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	उपाध्यक्ष (पदेन)
3–	क्षेत्रीय सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सचिव (पदेन)
4–	संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के मुख्यालय पर नियुक्त जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य(पदेन)
5–	बीज उत्पादन अधिकारी (रेज का एक) (जो गन्ना आयुक्त द्वारा नामांकित होगा)	(सदस्य)
6–	क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के कार्यक्षेत्र की चीनी मिलों के 2 सदस्य जिनका नामांगन गन्ना आयुक्त करेंगे	सदस्य
7–	क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के कार्यक्षेत्र की गन्ना विकास परिषदों से 2 कृषक सदस्य (नामांकन गन्ना आयुक्त करेंगे) पूर्ववर्ती रेंज गन्ना प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।	सदस्य
8–	संबंधित गन्ना बीज एवं विकास निगम।	सदस्य

(द) रेंज प्रतियोगिता के किसी भी विवाद की दशा में यह समिति अपना निर्णय देगी।

(य) रेंज प्रतियोगिता के संबंध में रेंज प्रतियोगिता समिति के निर्णय की अपील गन्ना आयुक्त को की जा सकेगी तथा उस पर गन्ना आयुक्त का निर्णय अन्तिम व सभी को मान्य होगा। गन्ना आयुक्त के निर्णय की अपील नही की जा सकेगी।

(र) प्रतियोगिता में विजयी कृषकों की सूची व अन्य विवरण (परिशिष्ट–5) मुख्य निर्णायक द्वारा राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति को परिणामों की धोषणा के बाद अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा।

39– **राज्य प्रतियोगिता** :

(अ) इस प्रतियोगिता में प्रदेश के समस्त क्षेत्रों (क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त का कार्यक्षेत्र) के गन्ना किसान भाग ले सकेंगे।

(ब) राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्राप्त उपज की रेणी निर्धारित करने, पुरस्कार वितरण समारोहों का आयोजन करने आदि सभी प्रतियोगिता से संबंधित कार्यों को सुनियोजित ढंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार का उत्तरदायितव राज्य प्रतियोगिता समिति का होगा।

(स) लेखा–जोखा रखने एवं आय–व्यय आदि का सम्पूर्ण उततरदायित्व सचिव, राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति का होगा।

(द) राज्य प्रतियोगिता समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1–	गन्ना आयुक्त	अध्यक्ष (पदेन)
2–	अपर गन्ना आयुक्त (विकास)	उपाध्यक्ष (पदेन)
3–	संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त(विकास) (गन्ना आयुक्त द्वारा नामांकित)	सदस्य
4–	उप गन्ना आयुक्त(सांख्यिकी)	सदस्य
5–	मुख्य प्रचार अधिकारी(सी.पी.ओ.)	सचिव (पदेन)
6–	उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ	सदस्य
7–	गन्ना बीज एवं विकास निगम (गन्ना आयुक्त द्वारा नामांकित)	सदस्य
8–	गन्ना आयुक्त द्वारा नामांकित 3 कृषक (पूर्ववर्ती राज्य गन्ना प्रतियोगिता के सफलतम प्रतियोगी को वरीयता दी जायेगी)	सदस्य
9–	गन्ना आयुक्त द्वारा नामांकित चीनी मिलों के 4 सदस्य जिसमें से एक सहकारी चीनी मिल संघ, एक उ0प्र0 राज्य चीनी निगम एवं 2 सदस्य निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के होंगे।	सदस्य

(य) राज्य प्रतियोगिता के किसी भी विवाद की दशा में यह समिति अपना निर्णय देगी।

(र) राज्य प्रतियोगिता के संबंध में राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति के निर्णय की अपील गन्ना आयुक्त को की जा सकेगी तथा उस पर गन्ना आयुक्त का निर्णय ही अनितम व सभी को मान्य होगा। गन्ना आयुक्त के निर्णय की अपील कहीं नही की जा सकेगी।

40– जोनल व रेंज प्रतियोगिता समितियों में तीन तथा राज्य गन्ना प्रतियोगिता में चार सदस्यों की उपस्थिति इन समितियों के लिए कोरम होगा।

41– विशेष पुरस्कार7नियम 28 व 29 के अतिरिक्त गन्ना प्रतियोगिता समितियॉ विशेष पुरस्कार, स्मृति चिन्ह् आदि अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार दे सकती हैं।

42– नियम– 39 व 40 के अनुसार रेंज व राज्य प्रतियोगिता समिति का गठन गन्ना आयुक्त,उ0प्र0 के द्वारा तथा नियम– 38 के अनुसार जोनल गन्ना प्रतियोगिता समिति का गठन संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त गन्ना आयुक्त/उप गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा। इन सभी गन्ना प्रतियोगिता समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

43– जोनल गन्ना प्रतियोगिता समिति के नामांकित/मनोनीत सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त तथा रेंज व राज्य प्रतियोगिता समिति के ऐसे सदस्यों को गन्ना आयुक्त,उ0प्र0 द्वारा समय से पूर्व भी बदला जा सकता है।

44– प्रतियोगिता समितियों को भंग एवं पुनर्गठन करने का सर्वाधिकार गन्ना आयुक्त में निहित रहेगा।

45– राज्य गन्ना प्रतियोगिता के आय का स्रोत निम्नलिखित संस्थाओं के प्राप्त वार्षिक अंशदान होगा।

1–	गन्ना विकास परिषदें	रु0 500/– (पॉच सौ वार्षिक)
2–	गन्ना विकास समितियॉ	रु0 500/– (पॉच सौ वार्षिक)
3–	चीनी मिलें	रु0 1000/– (एक हजार वार्षिक)
4–	गन्ना बीज निगम	रु0 2000/– (दो हजार वार्षिक)
5–	उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ	रु0 20,000/– (बीस हजार वार्षिक)

46– प्रतियोगी कृषकों के गन्ना प्रतियोगिता से प्राप्त उपज की पर्चियों का समायोजन उसी पक्ष (कटाई तिथि) में न कर सीजन के अन्तिम पखवारे से किया जायेगा।

47– (अ) रेंज एवं जोनल गन्ना प्रतियोगिता समिति अपनी आय के लिए समय–समय पर अंशदान राशि स्वयं निर्धारण करने के लिए सक्षम होगी।

(ब) राज्य गन्ना प्रतियोगिता हेतु अंशदान दरों में आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन या संशोधन गन्ना आयुकत द्वारा किया जा सकेगा।

(स) प्रतियोगिता का अंशदान भिजवाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला गन्ना अधिकारी का होगा।

(द) यह नियमावली वर्ष 1993–94 से प्रभावी मानी जायेगी।

ह0	ह0	ह0
चीफ पब्लिसिटी आफिसर	अपर गन्ना आयुक्त (विकास)एवं	गन्ना आयुक्त,उ0प्र0 एवं
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति	राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति	राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति